



64

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
 अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002
 (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/विविध/115-920/2606

रायपुर, दिनांक 28/11/2024

प्रति,

अपर मुख्य सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन

नवा रायपुर, अटल नगर

विषय:-

Diversion of 6.66 ha. forest land in favour Tribal Development Kanker for Establishment of Eklavya Modern Residential School, under Forest Conservation Act, 1980 at Village - Anjani, Tehsil-Kanker, District North Baster Kanker in the State of Chhattisgarh - reg.

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/SCH/ 153246/ 2022

- संदर्भ:- 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/FC-II/ IROCH-13/ 2022/ 954 दिनांक 03.10.2022
2. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5-15/ 2022/ 10-2 दिनांक 13.10.2022
3. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का पत्र क्रमांक/ त.अ./ विविध/ 2024/ 3019 दिनांक 11.10.2024
- * * * * *

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर के संदर्भित पत्र-1 द्वारा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर का कांकेर जिले के कांकेर वन मंडल अंतर्गत 6.66 हे. वन भूमि ग्राम अंजनी में Eklavya Modern Residential School के गैर वानिकी कार्य हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी संसूचना संदर्भित पत्र-2 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुई है।

संदर्भ पत्र-3 के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर द्वारा अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है जो निम्नानुसार है:-

क्र.	शर्त क्रमांक	पालन प्रतिवेदन
i	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-1)
ii	Compensatory Afforestation	
a.	Compensatory afforestation shall be taken up by the User Agency carried out in equal area of 6.66 ha revenue land in Dugurkondal range at khasra no. 66 in East Bhanuparatappur Forest Division, Kanker at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided	गैर वानिकी कार्य हेतु व्यवर्तित क्षेत्र के बदले पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल के तहसील दुगुर्कोदल के ग्राम-हिल्यूर के खसरा नंबर- 66 में से 6.66 हेक्टेयर में उपलब्ध कराई गई राजस्व भूमि पर स्थानीय स्वदेशी प्रजाति के वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि रुपये 64,37,996 ई-चालान जनरेट कर आर.

65

क्र.	शर्त क्रमांक	पालन प्रतिवेदन
		टी.जी.एस. के माध्यम से UTR No. BDBLR6 2024010110131305 दिनांक 01.01.2024 द्वारा कैम्पा खाता 1506462153246694 में जमा की गई है, नवीन दर के अनुसार से अंतर की राशि रुपये 13,52,073/- ई-चालान जनरेट कर आर.टी.जी. एस. के माध्यम से UTR No. BDBLR62024 091914449383/ दिनांक 18.09.2024 द्वारा कैम्पा खाता 1506462153611954 में जमा की गई है, कुल राशि 77,90,039/- रुपये जमा की गई है एवं उपलब्ध कराई गई राजस्व भूमि पर किसी प्रकार का मोनोकल्चर का कार्य नहीं किया जावेगा। चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-2)
b.	The non-forest land which has been transferred and mutated in favour of the State Forest Department	कलेक्टर, आदिवासी विकास शाखा जिला उ.ब. कांकेर का पत्र क्रमांक/770 दिनांक 05.07.2024 के द्वारा वनमण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल, जिला उ.ब.कांकेर को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम हिलचूर विकासखण्ड दुर्गूकोन्दल में चयनित वनभूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किया गया है, जिसका आदेश दिनांक 10.07.2024 की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-3)
iii	Cost of Compensatory Afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-4)
iv	NPV:	
a.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 6.66 ha forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No.202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No.5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard;	आवेदक द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के पत्र दिनांक 28.03.2008 के निर्देशानुसार व्यपवर्तित वन भूमि रकबा 6.66 हे. के लिए (म्बव ब्से.प्पे) खुला वन प्रति हेक्टेयर के निर्धारित दर 9,57,780.00 रुपये प्रति हेक्टर के मान से कुल राशि 63,78,815.00 रुपये ई-चालान जनरेटर कर आर.टी.जी.एस. के माध्यम से UTR No. BDBLR620240 10110131305 दिनांक 01.01.2024 द्वारा कैम्पा

क्र.	शर्त क्रमांक	पालन प्रतिवेदन
		खाता 1506462153246694 में जमा की गई है। चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-5)
b.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-6)
v	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portai (https://parivesh.nic.in/).	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-7)
vi	State Government shall take appropriate action against the violation as per the provisions of MoEF&CC's guideline dated 29.01.2018 and penal NPV shall be charged accordingly. A detail report in this regard shall be submitted along with the compliance report:	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-8)
vii	The State Government of Chhattisgarh/ Nodal Officer (FCA), Forest Department of Chhattisgarh shall ensure settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007) before issuing an order for handing over of forest land to the User Agency as per Rule-9 (6) (b) (ii) of Forest (Conservation) Rules, 2022 dated 28.06.2022;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-9)
viii	User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-10)
ix	The maximum number of trees in the proposal shall be kept intact. User Agency shall give an undertaking stating that plantation work will be carried out in the proposed area or school premises, as per availability of blank area;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-11)
x	The proposal considered only site-specific projects on forest land, State Government must be find alternative land for non-site-specific future projects. The State Government shall submit a certificate from the side of the Chief	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-12)

(67)

क्र.	शर्त क्रमांक	पालन प्रतिवेदन
	Secretary, Government of Chhattisgarh for non-availability of Private and Government land for such proposal. The same shall submit along with the Stage-1 Compliance report by the state Government.	
xi	The concerned DFO will recheck the rare species of flora and fauna mentioned in the proposed area and shall submit a report in this regard certificate shall be submitted along with Stage-I compliance;	वनमण्डलाधिकारी कांकेर वनमण्डल वर्तमान स्थिति में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अनुशंसा सहित संलग्न प्रेषित है। (संलग्नक-13)
xii	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable,	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-14)
xiii	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-15)
xiv	No labour camp shall be established on the forest land,	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-16)
xv	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-17)
xvi	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer,	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-18)
xvii	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work:	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-19)
xviii	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less,	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-20)
xix	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-21)
xx	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies. department or person without prior approval of Govt. of India.	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-22)
xxi	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-23)

क्र.	शर्त क्रमांक	पालन प्रतिवेदन
xxii	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-24)
xxiii	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	आवेदक विभाग द्वारा शर्त मान्य किया गया है, वचन पत्र संलग्न है। (संलग्नक-25)

उपरोक्तानुसार संदर्भित पत्र-3 द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति के अधिरोपित समस्त शर्तों की पूर्ति आवेदनकर्ता से पूर्ण करा ली गई है। तदनुसार शासन स्तर से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नवा रायपुर से अंतिम चरण स्वीकृति जारी करने हेतु लेख करने का अनुरोध है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(पालन प्रतिवेदन 2 प्रतियों में)

(प्र.मु.व.स. एवं वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्र./वन (सं. एवं सं.) अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-920/2607
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

रायपुर, दिनांक 8/11/2024

1. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, कांकेर वन मंडल, कांकेर, छत्तीसगढ़।
3. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्र./वन (सं. एवं सं.) अ)
छत्तीसगढ़